रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102025-267054
CG-DL-E-21102025-267054

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4640] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 21, 2025/आश्विन 29, 1947
No. 4640] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 2025/ASVINA 29, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(कार्मिक-I अनुभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4769(अ).— इस मंत्रालय की दिनांक 7 मई, 2025 की अधिसूचना संख्या 2(1)/2017-कार्मिक-I (पार्ट), जिसे भारत के राजपत्र में सां. आ. 2056(ड.) के तहत 8 मई 2025 को प्रकाशित किया गया था के अधिक्रमण में तथा सूचना प्रौद्योगिकी (जनसाधारण द्वारा सूचना के अभिगम के अवरोधन के लिए कार्यविधि और सुरक्षा उपाय) नियमावली, 2009 के नियम 3 के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 69क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उक्त नियमों के प्रयोजन से एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत और पदनामित करती है:

(क) श्री अजित कुमार, आईएस (के.एल:2006), संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 केंद्रीय सरकार कार्यालय परिसर, नई दिल्ली-110003 को उक्त नियमों के प्रयोजन से पदनामित अधिकारी के रूप में।

(ख) श्री सुशील पाल, आईसीएएस (1999), संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर, नई दिल्ली-110003 को श्री अजित कुमार, आईएस (के.एल:2006), संयुक्त सचिव और पदनामित अधिकारी की छुट्टी, दौरे आदि के कारण अनुपस्थिति के दौरान उक्त नियमों के प्रयोजन से पदनामित अधिकारी के रूप में।

[फा. सं. 2(1)/2017-कार्मिक I (भाग)]

अमितेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Personnel-I Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2025

S.O. 4769(E).—In supersession of this Ministry's Notification No. 2(1)/2017-Pers.I (Pt.) dated 7th May 2025 published in the Gazette of India vide S.O. 2056(E) on 8th May 2025; and in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 69A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with rule 3 of the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009, the Central Government hereby authorizes and designates:

(a) Shri Ajit Kumar, IAS(KL:2006), Joint Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, Electronics Niketan, 6 Central Government Offices Complex, New Delhi - 110003, as the Designated Officer for the purpose of the said rules.

(b) Shri Sushil Pal, ICAS(1999), Joint Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, Electronics Niketan, 6 Central Government Offices Complex, New Delhi - 110003, as the Designated Officer for the purpose of the said rules during the absence on account of leave, tour, etc., of Shri Ajit Kumar, IAS(KL:2006), Joint Secretary and Designated Officer.

[F. No. 2(1)/2017-Pers.I (Pt.)]

AMITESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.21 21:41:44 +05'30'